हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
18/2/25	त्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7/4/25 को पेश हो ह०
7/4/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 26/5/25 को पेश हो ह० रिपोर्ट TPR प्राप्त/वकील प्रार्थी ने उप. होकर प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई पेश किया पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही 16/4/25 को पेश हो। जवाब पेशी सरकार प्राप्त ह०
16/4/25	पत्रावली आज प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई प्रा०पत्र पेश होने पर पेश हुई वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र के क्रम मे प्राप्त रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। बहस उभय पक्ष सुनी जाकर पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन करने पर प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत रिपोर्ट पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल हो। ह०अं०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
264/प्रा.पत्र/2024	19.12.2024	16.04.2025

सिमरजीत सिंह आत्मज श्री हरभजन सिंह, जाति जट सिख आयु व्यस्क निवासी सुवासां तहसील तालेडा जिला बंदी राज0

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 6 पुराना 4 की खसरा सं. 2549 रकबा 0.7851 हैक्टेयर व खसरा सं. 2568 रकबा 0.6562 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4407 हैक्टेयर ग्राम सुवॉसा पटवार हल्का सुवॉसा भू–अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। भूमि ग्राम सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं जब ऑनलाईन करते समय प्रार्थी के मूल नाम/ दस्तावेजी नाम के स्थान पर प्रार्थी का बोलता नाम सिमरनजीत सिंह सहवन से प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम सिमरजीत सिंह है।राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही प्रार्थी का नाम प्रार्थी के बोलते नाम सिमरनजीत सिंह के अनुसार ही सिमरनजीत सिंह नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का नाम मूल नाम दस्तावेजी आधार पर सिमरजीत सिंह है। जब तहसील तालेडा में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करते समय उक्त भूमि में नाम बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ। आनन फानन में प्रार्थी का बोलता नाम ही सिमरनजीत सिंह ही अकित कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सिमरजीत सिंह है। एल. आर. एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नाम मे गलती हुई तो प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। इस बाबत जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी सुवॉसा से दिनांक 16.06.2024 को निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का सुवॉसा के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई , प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 16.06.2024 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि में नाम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित पर दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित है पर नाम का शुद्धीकरण दर्ज कर अकित करे। प्रार्थी की भूमि ग्राम सुवॉसा पटवार हल्का सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित होने से न्यायालय श्रीमान् के श्रवणाधिकार में आता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 6 पूराना 4 की खसरा सं. 2549 रकबा 0.7851 हैक्टेयर खसरा सं. 2568 रकबा 0.6562 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4407 हैक्टेयर वाके ग्राम सूवासा

हल्का सुंवासा भू.अभि. निरीक्षक वृत्त बाजड़ तहसील तालेड़ा जिला बूंदी राज0 में स्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेड़ा से जाँच रिपोर्ट मंगवाकर नाम शुद्धीकरण के आदेश फरमाने जो प्रार्थी का नाम सिमरनजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह गलत दर्ज है को शुद्ध कर प्रार्थी का नाम सिमरजीत सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जरिये पत्रांक 646 दिनांक 19.02.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम सुंवासा के आराजी ख.सं. 2549 रकबा 0.7851 है0, ख.सं. 2568 रकबा 0.6562 है0 खातेदार सिमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जट सिख नि0 सुंवासा के नाम दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम सिमरनजीत सिंह के स्थान पर सिमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जट सिख कराना चाहता है। वर्ष 2024 में पारिवारिक बटवारा किया गया जिसमें सहवन से सिमरजीत सिंह के स्थान पर सिमरनजीत सिंह पि0 हरभजन सिंह अशुद्ध दर्ज किया गया। रिपोर्ट अनुसार सिमरजीत सिंह का नाम इनके सभी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड में सिमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जट सिख ही दर्ज है। अतः सिमरनजीत सिंह के बजाय सिमरजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 6 वाके ग्राम सुंवासा , आयकर विभाग का पेनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं ड्राईविंग लाईसेन्स की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार तालेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम सिमरनजीत सिंह के स्थान पर सिमरजीत दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

पेशेकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेड़ा अनुसार प्रार्थी का नाम संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 6 वाके ग्राम सुंवासा , आयकर विभाग का पेनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं ड्राईविंग लाईसेन्स का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सिमरजीत सिंह है ना कि सिमरनजीत सिंह। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में 2076 खाता संख्या नया 6 पुराना 4 खसरा संख्या 2549 रकबा 0.7851 हैक्टेयर व खसरा संख्या 2568 रकबा 0.6556 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4407 हैक्टेयर वाके ग्राम सुंवासा पटवार हल्का सुंवासा मे प्रार्थी का नाम सिमरनजीत सिंह के स्थान पर सिमरनजीत सिंह उर्फ सिमरजीत सिंह पुत्र हरभजनसिंह संशोधित किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

ह0/-
(हरविन्दर जी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा